कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर ।

विषयः–वाईडनिंग एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ जैसलमेर–बाडमेर सेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एनएच 15 फ्रोम किमी. 5.00 टू किमी. 153.00 इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान रिगार्डिन्ग डायवर्सन ऑफ लैण्ड इन जैसलमेर एण्ड बाडमेर फोरेस्ट डिवीजन (एप्लाईड फोरेस्ट एरिया फोरेस्ट डिवीजन जैसलमेर 59.770 है0 एण्ड बाडमेर फोरेस्ट डिवीजन 56.776 है0)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/06/21/2014/एफसी/827 दि. 23.09.15 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1(72) वन/2014 दिनांक 15.10.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 116.546 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव 6773 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।

भवदीय,

संलग्नः–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 7235-39 दिनांकः 1.12.15

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1(72) वन/2014 दिनांक 15.10.15 के क्रम में ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 15.10.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, बाड़मेर/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ–साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंः–
   (i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
4. Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019

संलग्नः–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

(2) 10/7

51

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

1928
10/7/15

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / राज0 / 06 / 21 / 2014 / एफ.सी. / 322

दिनॉक: 06 / 07 / 2015

10/7

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय: **Widening and Upgradation of Jaisalmer-Badmer Section of Existing NH-15 from Km. 5.00 to 153.00 Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jaisalmer and badmer Forest Division (Applied Forest area forest division Jaisalmer 59.770 ha. and Badmer Forest Division 56.776 ha.)**

सन्दर्भ–क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 28.05.2015 एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक– एफ14()2014 / जोध / एफसीए / प्रमुवसं /, दिनांक– 23.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक प01(72)वन / 2014, दिनॉक: 11.11.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव को दिनांक 28.05.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सशर्त स्वीकृति इस आधार पर दी गयी थी कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रकरण की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना में प्रस्तावित कुल 116.546 हे0 (जैसलमेर वन मण्डल 59.770 हे0 + बाडमेड वन मण्डल–56.776 हे0)वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं (वन मण्डल जैसलमेर में 2318 वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल बाडमेर में 4455 वृक्षों के पातन) कुल 6773 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 121.13 हे0 (59.770x2= 121.13ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जाएगी।

3. वन मण्डल बाडमेर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 120.00 हे0 (56.776x2=113.552=120.00ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

   उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– **037100101025225,आई0एफ0एस0 कोड–CORP0000371,** कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0, जो भी लागू हो, की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रस्ताव के पार्ट III में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार वृक्षों के पुर्नस्थापन (Transplantation) हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।

6. प्रयोक्ता अभिकरण यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

7. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4"फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302004 राजस्थान को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, जैसेलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, बाडमेर वन मण्डल, बाडमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0 जोधपुर, 148 उमेद हेरिटेज, रतनाडा, जोधपुर, राजस्थान।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
8. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/21/2014/एफ.सी./827

दिनॉक:23.09.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषयः **Diversion of 116.546 ha. of forest land in favou of NHAI for widening of Jaisalmer- Barmer Section on NH-15 in Jaisalmer Forest Division (from existing Km. 5.000 to Km. 68.500-59.770 Ha.) and in Barmer Forest Division (from existing Km. 68.500 to Km. 123.410 & Km. 144.500 to Km. 153.000-56.776 Ha.), in the State of Rajasthan**

संदर्भ–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14()2014/वसु/प्रमवसं/5109, दिनांक–05.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक प01(72)वन/2014, दिनॉक: 11.11.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक– 06.07.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना में प्रस्तावित कुल 116.546 हे0 (जैसलमेर वन मण्डल 59.770 हे0 + बाडमेड़ वन मण्डल–56.776 हे0)वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं (वन मण्डल जैसलमेर में 2318 वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल बाडमेर में 4455 वृक्षों के पातन) कुल 6773 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. वन मण्डल जैसलमेर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 121.13 हे0 (59.770x2=121.13ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. वन मण्डल बाडमेर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 120.00 हे0 (56.776x2=113.552=120.00ha.) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रस्ताव के पार्ट–।।। में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार वृक्षों के पुर्नस्थापन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

13. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302004 राजस्थान को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, जैसेलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, बाडमेर वन मण्डल, बाडमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0 जोधपुर, 148 उमेद हेरिटेज, रतनाडा, जोधपुर, राजस्थान।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड़िंग हेतु।
8. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

OVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(72) Forest/2014 : Jaipur, dated: 15.10.2015

ORDER

MOEF&CC, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No.8B/Raj/06/21/2014/FC/827 dated 23.09.2015 has conveyed its approval for diversion of 116.546 ha. forest land in district Jaisalmer- Barmer and felling of 6773 trees for Widening of Jaisalmer-Barmer Section On NH-15 In Jaisalmer Forest Division (From existing Km 5.000 to Km 68.500-59.770 Ha) and in Barmer forest Division (From existing km. 68.500 to 123.410 & Km. 144.500 to Km. 153.000-56.776 ha.) in the State of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance date 23.09.2015 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 – with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt.of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur – with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, , Jaipur – to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests , Jodhpur.
8. Deputy Conservator of Forest, Jaisalmer and Barmer
9. Project Director, National Highways Authority of India, 148, Umaid Heritage, Ratanada, Jodhpur-342006.
10. Order File

officer on Special duty , Forests

Y.K.DAK/Secy forest/ Final Approval/ Ajay folder Date